


15/2009

देवचंद प।स जीसी वर्ग 1

212RTA

26/3/25

पत्रावली पेश हुई। जार्जी - जार्जी आधिवक्ता अनु.)  
जार्जी एवं जार्जी आधिवक्ता की नियमानुसार तीन  
बार आवाजे लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं  
आया। समय 5-56 PM हो चुका है। जार्जी एवं जार्जी  
आधिवक्ता की न्यायाधीश में पुनः प्रकवार आवाज  
लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।  
जार्जी एवं जार्जी आधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने  
के कारण जार्जी द्वारा प्रस्तुत जार्जी का पत्र अन्तर्गत  
धारा 212 राजस्थान काबूतकारी आधिनियम की  
अदम (पैरवी) अदम पैरवी में खारिज किया जाया  
है। निर्णय सेरे इजलास सुनाया गया।  
पत्रावली जमल कुमार लेकर दाखिल दफ्तर  
हो तथा बम्बर से कम है।

  
26/3/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा